

फर्द अहकाम
दारा सिंह व अन्य vs हरिकृष्ण रिपल कार्ट व अन्य

न्यायालय सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रैक) अमेर
मुख्यालय-जयपुर

संख्या

02/2024

(प्र. का काजदापरी)

संख्या	दिनांक अहकाम का कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रूप से	विशेष विवरण
02/04/24		<p>यह स्पष्ट होता है जो कि निविदा तय है कि अपीलवाला अर्थात् मूलका अम हाजरी, अम परकी में खारिज नहीं किया जाकर कांस्ट्रि 9 किपम 5 के प्रवधान से अर्थात् 2 बार किया गया है। जिसे संघ में अहम न्यायालय में अपील ही की जा सकती है परन्तु अपीलवाला काजदापरी प्रस्तुत नहीं किया जा सकता है। इसे कलिक में प्रस्तुत अपीलवाला निर्धारित समयावधि में प्रस्तुत नहीं कर लाता 20 माह पर्यन्त प्रस्तुत किया गया है। जिसका कोई काम/अप्रुक्त कांस्ट्रु की प्रस्तुत नहीं किया गया है। इसे कलिक में वाप अर्थात् सूचि के अंतर्गत में एक अहकाम (सं. 16/2023 चउवकी) में तत्त हरिकृष्णम रिपल कार्ट प्र. रि. कर्म दारा सिंह व अन्य की न्यायालय हाप में प्रस्तुत किया गया, जो कि न्यायालय हाप द्वारा दिनांक 05-09-23 को प्रथमिक डिमी का जोन व अन्त प्रथमिक डिमी के विरुद्ध सूचि द्वारा प्रस्तुत अपील कांस्ट्रु तथा को की जारी गप द्वारा दुताया क गया है। उक्त प्रकरण में दस्ता प्रकरण के प्रवधान के अन्त ही विनापन के अंगुल के अहकाम है। इस प्रकार अपीलवाला द्वारा स्वयं हाप से अपीलवाला प्रस्तुत नहीं</p>	



